राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 47/2021 निगरानी

1.विकास अधिकारी, पंचायत समिति **बनाम** बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

1.श्रीमती वन्दना देवी पत्नि ऋतुराज पाण्डे निवासी बिजौलिया।
2.ग्राम पंचायत उमाजी का खेडा जरिए सरपंच/सचिव।
3.सतीश पुत्र मदन लाल सिलावट(गौड) निवासी बिजौलिया।
4.श्याम लाल पुत्र मदल लाल सिलावट(गौड) निवासी कृष्णा हॉस्पीटल के आगे,इन्द्रा कॉलोनी,भीलवाड़ा

–निगराकार

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा जारी पट्टा विलेख 2209 दिनांक 30/10/2014

उपस्थित – श्री अरविन्द शर्मा, गैर निगराकार 1 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01/01/2026

निगराकार द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि गैर निगराकार संख्या 2 ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा के द्वारा ग्राम फतहपुरा में आबादी भूमि होने दस्तावेज कायम की गई पत्रावली में संलग्न नहीं किए है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त गलत कृत्य क्षेत्राधिकार में था या नहीं था। गैर–निगराकार 2 ने सर्वप्रथम मदनलाल पुत्र छितर लाल सलावट के नाम से पत्रावली सं 31/07.08.2004 कायम की गई जिसमें 6664/– रू रसीद 23/01.09.2004 से बिना नियम उल्लेख किए ही जमा कर ली गई। ग्राम पंचायत राज में आबादी भूमि विक्रय हेतु नियम 140 से 167 तक के विलेखित हैं। उक्त कायम पत्रावली अनुसार आवेदनकर्ता राजस्व ग्राम बिजौलिया का है जबकि उसके विरूद्व उमा जी का खेडा द्वारा पत्रावली कायम कर नियम 155 के तहत कब्जा व नियम 156 के तहत भूमि विक्रय प्रक्रिया अपनाई गयी है जबकि पत्रावली कब्जा होने के साक्ष्य संलग्न नहीं है। ग्रा0प0 का निवासी नहीं होने पर उसको अतिक्रमी नहीं मान कर कब्जा धारक माना गया है जो विधि विरूद्व है। ग्रा0प0 द्वारा पत्रावली 31/07.08.2004 में

1.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्थान पंचायत राज नियम 141 के तहत निलामी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, नियम 142 के तहत ग्राम विकास योजना भी तैयार नहीं की गयी, नियम 143 के तहत मानचित्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना होता है, यह कार्य भी सम्पादित नहीं किया गया है, नियम 145 के तहत निर्धारित शुल्क राशि भी जमा नहीं होने से उक्त नियमों की पालना नहीं होने से पट्टा निरस्त योग्य है। ग्रा0प0 द्वारा प्रथम आवेदनकर्ता का नियम 146 के तहत वार्ड पंचो की कमेटी से मौका निरीक्षण कराया गया किंतु मौका निरीक्षण से पूर्व ही विधि–विरूद्ध राशि जमा करा ली गई। नियम 146 के तहत अंतिम निर्णय करा लिया गया है जिसका अंकन नहीं है। अंतिम निर्णय होने के बाद रसीद संख्या 23/01.12.2011 से 50,000/– जमा की गई जबकि नियमों के तहत 10 प्रतिशत राशि बोली स्थान, 15 प्रतिशत राशि 24 घण्टे में तथा शेष राशि 60 दिवस में जमा कराने का प्रावधान है परन्तु नियम की अनदेखी कर 7 वर्ष बाद राशि जमा ले कर अतिक्रमी को कब्जा धारक माना गया, अतः पट्टा अवैध एवं खारिज योग्य है। ग्रा0प द्वारा कायम पत्रावली में कार्यवाही रहते हुए आवेदनकर्ता मदनलाल पिता छितरलाल सलावट का देहांत दिनांक 29/11/2012 को हो गया, उस समय तक ग्रा0प0 द्वारा प्रथम पक्षकार को पट्टा जारी नही किया गया था। नियमानुसार प्रथम पक्षकार की मृत्यु उपरान्त कार्यवाही समाप्त होकर संबंधित सम्पति ग्राम पंचायत के अधिकार में आ जाती है। परन्तु ग्राम पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर मृतक की पत्रावली में दर्शाए भूखण्ड के आधे क्षेत्रफल का हिस्सा वारिस सतीश कुमार के नाम पर मृत्यु प्रमाण के आधार पर नियम विरूद्ध कर दिया गया क्योंकि मूल आवेदनकर्ता ही कब्जा धारक नहीं होकर अतिक्रमी था, एवं नियमों में अतिक्रमी स्थल को उनके वारिसान का सम्पत्ति सुपुर्दगी का कोई नियम नहीं है। ग्रा0प0 द्वारा कायम की गई पत्रावली में आवेदनकर्ता मदनलाल पुत्र छितरलाल को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होने से पूर्व व मृत्यु से पूर्व ही आवेदनकर्ता द्वारा अतिक्रमी स्वंय को दिनांक 19/11/2011 से ऋतुराज पिता प्रसेन्नजीत पाण्डे को विक्रय कर दिया गया जबकि उक्त स्थल पर विक्रयकर्ता का कोई अधिकार नहीं था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नियमों से परे जाकर इस के नाम के आधार पर अधिकारकर्ता ऋतुराज पाण्डे की पत्नी वन्दना देवी पाण्डे के नाम कायम की गई पत्रावली सं 97/31.3.2012 कायम की जाकर पट्टा संख्या 2209/30.10.2014 को जारी किया गया जिसमें तथ्यों को नजरअन्दाज किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा कायम की हुई पत्रावली में नियम 140 से 144 तक की कार्यवाही नहीं की गई,नियम 145 तक तहत निर्धारित शुल्क जमा नहीं लिया,नियम 146 तक तहत मौका निरीक्षण कमेटी का स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं की गई, नियम 147 के तहत अन्तिम निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया नियम 148 के तहत लिखित आपत्ती आमंत्रण की कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी तथा नियम 149 के तहत निस्तारण की कार्यवाही भी नहीं की गई अतः पट्टा खारिज योग्य है।कायम की गई पत्रावली में नियम 150,151,152,153 के तहत कार्यवाही नहीं करने के कारण पट्टा खारिज योग्य है। ग्रा.प0 द्वारा नियम 156 के तहत आपसी बातचीत के आधार पर डी0एल0सी दर से भूखण्ड को भू–पटटी बना कर भुखण्ड को विक्रय किया गया है इसलिए पटटा खारिज योग्य है। उक्त स्थान को दिनांक 19.11.2011 को वन्दना पाण्डे के पति ऋतुराज पाण्डे द्वारा प्रथम अतिक्रमी मदनलाल पिता छितरलाल सलावट से कब्जा क्रय किया है। ग्रा0प द्वारा बेशकिमती स्थल को अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमी द्वारा नाजायद विक्रय को वैधानिक अधिकार प्रदान किया है इसलिए पत्रावली सं 97 पटटा सं 2209 खारिज योग्य है।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मृतक के दूसरे वारिसान श्यामलाल द्वारा इस कृत्य की शिकायत उच्च कार्यालय में करने पर निर्णय लिया गया कि पट्टा अवैध होकर निरस्तनीय है। प्रथम दृष्या उक्त क्षेत्र पर किसी भी आवेदनकर्ता का किसी भी प्रकार का वैधानिक अधिकार नहीं है फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर परिवादियों द्वारा माननीय लोक अदालत के समक्ष परिवेदना प्रस्ततु कि है ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम पक्षकार मदनलाल से प्रारम्भ होकर सतीष कुमार व वंदना पाण्डे की गलत पत्रावलीयां कायम कर राजस्थान पंचायत राज नियमों से परे जाकर पट्टे जारी किए तथा कार्यवाही की गई जिसके कारण पटटा संख्या 2209 खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र को अपने स्वामित्व में लेने के बजाय नियमों के विरूद्ध जाकर राजस्थान सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर एवं अतिक्रमण से मुक्त किए बिना, अवैध रूप से पटटा जारी किया गया। वंदना पाण्डे की पत्रावली भू–पट्टी के नाम से संधारित की गई जबकि उस भू–पटटी के पास वंदना पाण्डे के पास पूर्व में किसी भी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज पट्टा इत्यादी नहीं है। मनगडंत रचना की जाकर पट्टा सं 2209 जारी किया गया है, पत्रावली में सम्पूर्ण नियमों की अनदेखी की गई है इसलिए पटटा खारिज योग्य है।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस सुनी गयी।

गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस/जवाब अनुसार प्रस्तुत निगरानी मे निगराकार ने पट्टा संख्या 2209 दिनांकित 31.10.2014 को इस आधार पर निरस्त करने का कथन अंकित किया है कि ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा, बिजोलिया, भीलवाड़ा द्वारा मदनलाल सिलावट की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सतीश सिलावट के पक्ष में पट्टा जारी किया है तथा उसके बाद मदन सिलावट के पुत्र सतीश ने उक्त पट्टे के भूखण्ड को गैर निगराकार संख्या 01 को विक्रय कर दिया है, अतः पटटा अवैध है, जबकि वस्तुतः निगरांकार ने जिस पटटा संख्या 2209 को निरस्त कराने बाबत यह निगरानी पेश की है, उस पटटा क्रमांक 2209 के भूखण्ड को गैर निगराकार संख्या 01 ने कभी भी मदन सिलावट के पुत्र सतीश सिलावट से क्रय नही किया है, बल्की उक्त पटटा क्रमांक 2209 के भूखण्ड का पटटा भू–पटटी के आधार पर नियमानुसार आवेदन कर गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, बिजोलिया, भीलवाड़ा से जारी कराया है। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, बिजोलिया, भीलवाड़ा द्वारा भूखण्ड संख्या 39 ए नपती 25 गुणा 35 फीट का एक पटटा क्रमांक 1567 मिसल संख्या 31/2004–05 के जरिये सतीश पिता मदन सिलावट, निवासी बिजोलिया भीलवाड़ा के पक्ष में जारी कर, उसका पंजियन कराया था तथा उसके बाद उक्त सतीश पिता मदन सिलावट, को रूपयो की आवश्यकता होने से उसने उसके पटटान्तरित भूखण्ड संख्या 39 ए को जरिये पंजिकृत विक्रयपत्र के गैर निगराकार संख्या 01 वन्दना पाण्डे को विक्रय कर भूखण्ड का अधिपत्य सिपूर्द कर दिया था एवं उसके पश्चात से उक्त भूखण्ड संख्या 39 ए नपती 25 गुणा 35 फीट पर गैर निगराकार संख्या 01 वन्दना पाण्डे स्वामिनी की क्षमता मे काबिज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूखण्ड संख्या 39 ए नपती 25 गुणा 35 फीट क्रय करने के पश्चात उस भूखण्ड के पास रिक्त पड़ी भूमि का पट्टा गैर निगराकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 01 के पक्ष में उसके आवेदन पर पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 167 के अनुसार ही पटटा क्रमांक 2209 जारी किया है। पटटा जारी करने मे विधी का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम के किसी भी नियम उपबंध का उल्लंघन नहीं किया गया है। नियमानुसार राशी ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त की जाकर ही पटटा जारी किया गया है एवं उसे पंजियन कराया गया है। प्रश्नगत पट्टे का मदन सिलावट अथवा उसके पुत्र सतीश सिलावट से कोई संबंध नहीं है और न ही कभी रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाने योग्य है। निगरानी मे वर्णित पटटा कमांक 2209 दिनांकित 30.10.2014 पंजिकृत पटटा है तथा किसी भी पंजिकृत दस्तावेज/ उपकरण को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। पंजिकृत दस्तावेज /उपकरण को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय को नहीं है। अतः इस आधार पर भी प्रस्तुत यह निगरानी पोषणीय न होने से निरस्त की जाने योग्य है। निगराकार विकास अधिकारी द्वारा न तो निगरानी मे इस आशय का कोइ अभिवचन अंकित किया गया है कि वह किस प्रकार यह निगरानी प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है और न ही इस संबंध में काई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत की गई निगरानी मे निगरानी प्रस्तुतकर्ता विकास अधिकारी का नाम, पदस्थापन आदेश क्रमांक एवं पद स्थापन स्थान का उल्लेख नही है। अतः यह निगरानी अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नही होने से पोषणीय नहीं है। अतः इस आधार पर भी प्रस्तुत यह निगरानी निरस्त की जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि निगरानी निगराकार सव्यय निरस्त फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि गैर निगराकार ने जवाब/लिखित बहस में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटे का पंजीयन उप पंजीयक द्वारा किए जाने पश्चात् विक्रय पत्र द्वारा आगे बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व न्यायालय की आधिकारिता का नहीं होकर सिविल न्यायालय श्रवणाधिकार का है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती है। अतएव

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से अस्वीकार जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तल्बिदा रिकॉर्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.1.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा